न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—780 / 2026
बिहटा थाना कांड संख्या—281 / 2026

1. कमलेश यादव पिता स्व0 बाधा यादव,
2. अमरेन्द्र कुमार पिता कमलेश यादव,
3. गोविन्दा कुमार पिता कमलेश यादव,
4. मनीष कुमार पिता कमलेश यादव।

साकिनान—पाली हाल्ट , थाना—बिहटा, जिला—पटना।

————— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से— श्री रामेश्वर प्रसाद , अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

24.06.2026 बिहटा थाना कांड संख्या—281 / 2026 धारा—126(2),127(2), 333,115(2),109,352,351(2),3(5) बी.एन.एस. व 27 शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक / अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक ओमप्रकाश यादव का कथन है कि दिनांक—19.03.2026 को सुबह करीब 9.30 बजे खेत से अपने घर आये, तभी कमलेश यादव, अमरेन्द्र कुमार, गोविन्दा कुमार, मनीष कुमार नाली के विवाद को लेकर अमरेन्द्र और गोविन्दा ने अपने—अपने हाथ में पिस्तौल और कमलेश यादव और मनीष कुमार अपने—अपने हाथ में लाठी, डंडा और लोहे के रड लेकर गाली देते हुये मेरे घर में घुस गये और मारपीट करने लगे। मनीष कुमार मुझे पकड़ लिया और कमलेश यादव ने लोहे के रड से मुझे मारने लगे, जिससे मेरा बायां हाथ फट गया तथा बीच—बचाव करने मेरा पुत्र सन्नी कुमार और उज्जवल कुमार आया तो उसके उपर लोहे के रड और लाठी से कमलेश यादव और मनीष ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों का सिर फट गया और कमलेश यादव के ललकारने पर अमरेन्द्र और गोविन्दा दोनों ने पिस्तौल से फायर करने लगे, किसी तरह मैं सभी परिवार भागकर अपना—अपना जान बचाये। सभी नामित लोगों ने मेरे पूरे परिवार को

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–780 / 2026
बिहटा थाना कांड संख्या–281 / 2026

लगातार

24.06.2026

जान से मारने की धमकी दिये, उसके बाद हमलोगों ने अपना–अपना ईलाज कराये और थाना पर आवेदन दिया। अभियुक्तगण पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि नाली के विवाद को लेकर अभियुक्त कमलेश यादव एवं मनीष कुमार द्वारा सूचक के घर में घुसकर सूचक व सूचक के पुत्रगण को लाठी, डंडा, लोहे के रड से मारकर सूचक के बायां हाथ फटने व सूचक के दोनों पुत्र को सिर फाड़ देने एवं अभियुक्त अमरेन्द्र और गोविन्दा द्वारा फायर करने से संबंधित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अवएव मामले के तथ्यों व अपराध की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त कमलेश यादव, अमरेन्द्र कुमार, गोविन्दा कुमार एवं मनीष कुमार को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उनके तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।